न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 11/2019 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2019/00037

उनवान

1. रामसनेही उम्र 32 वर्ष
2. रामनरेश उम्र 30 वर्ष
3. जयकिशन उम्र 27 वर्ष
4. किशन सिंह उम्र 25 वर्ष
5. मंगलबाई उम्र 41 वर्ष
6. पूरनबाई उम्र 31 वर्ष

} पिसरान स्व0 रामजीलाल समस्त जाति मीना निवासी हुलासपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

7. भागवती उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व0 रामजीलाल
8. रामलखन उम्र 36 वर्ष
9. रायसिंह उम्र 24 वर्ष
10. जीतेन्द्र उम्र 31 वर्ष

} पिसरान स्व0 देवीलाल

11. कम्मोदा उम्र 61 वर्ष पत्नी स्व0 देवीलाल
12. हरभेजी उम्र 66 वर्ष पत्नी स्व0 सीताराम
13. गोपाल सिंह उम्र 48 वर्ष
14. महाराज सिंह उम्र 45 वर्ष

} पिसरान स्व0 सीताराम

15. ल्हौरी उम्र 59 वर्ष पत्नी स्व0 कल्याण सिंह
16. गिर्राज उम्र 28 वर्ष
17. भरतलाल उम्र 21 वर्ष
18. कन्हैया उम्र 32 वर्ष
19. पूरनदेई उम्र 34 वर्ष
20. कमलेश उम्र 38 वर्ष
21. बिस्सो उम्र 32 वर्ष

} पिसरान स्व0 कल्याण सिंह जाति समस्त मीना निवासी हुलासपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गोरेलाल
2. राजाराम
3. रामनाथ

} पि0 स्व0 हीरालाल जाति मीना निवासी हुलासपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

4. सूआबाई पत्नी स्व0 हीरालाल(मृतक)

..... रेस्पोडेण्ट

भू-प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प–धौलपुर भरतपुर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया० उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा दि० 09.06.18 प्र.सं. 09/16 उनवान गोरेलाल बनाम रामजीलाल।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. श्री योगेश शर्मा वकील रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक—15.06.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 04 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट, वादग्रस्त आराजी का जमाबन्दी के मुताबिक अंकित हिस्सो का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ट बॅटवारा चाहा । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा बाद सुनवाई दिनांक 05.06.2018 को प्राथमिक डिक्री करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2018 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

3. रैस्पो० द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 15.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि हस्तगत अपील में हम प्रार्थीगण/रैस्पो० का अपीलाण्ट के साथ राजीनामा हो गया है एवं राजीनामा में यह तय हुआ है कि विवादित आराजी का पुनः नये सिरे से बॅटवारा किया जावें एवं इस तथ्य से दोनों पक्षकारान सहमत हैं। अतः अपील अधीनस्थ न्यायायल को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बटॅवारा कराने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि पटवारी हल्का द्वारा दोनों पक्षो को बिना मौके पर बुलाये तथा बिना सहमति के मनमर्जी से वादग्रस्त आराजी के विभाजन प्रस्ताव, कैम्प बरौली में दिनांक 09.06.2018 को ही कर पेश कर दिये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हीं विभाजन

प्रस्तावो को सही मानते हुये, दावा अन्तिम डिक्री कर दिया। वर्तमान में रैस्पो0 भी विवादित आराजी के पुनः बटवारे हेतु सहमत हैं अतः अपील प्रतिप्रेषित किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं ना ही उक्त विभाजन प्रस्तावों पर किसी भी पक्षकार की सहमति के हस्तक्षार ही अंकित हैं उक्त विभाजन प्रस्ताव, पटवारी हल्का द्वारा बनाये जाकर तहसीलदार सरमथुरा को भिजवाये गये हैं। नियमानुसार विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष भी अपील को पुनः विधिअनुसार विभाजन कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमत हैं। अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2018 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) अन्तर्गत नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.07.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

7. पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.06.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
कार्या0भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर